

76

183

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल स्वामिघर (म.प्र.) (रीवा खक्ति कोट)



RSISS-II/16

Rf-301-

1. शीतला प्रसाद
2. चन्द्रिका प्रसाद
3. एड. सुमचन्द्र


तनय इन्द्रदत्त राम सा. पडैनिया तहसील गोपद बनास जिला-सीधी (म.प्र.)

.....आवेदकगण

बनाम

1. विश्वामविलाष
2. राम कुमार
3. शिवदयाल
4. हृदयलाल
5. हेममणि
6. सत्यप्रसाद

तनय रामसुन्दर राम



7. धर्मवती देवी विधवा पत्नी शिवकुमार
8. शिवम् उम्र-10 वर्ष
9. सत्यम उम्र-08 वर्ष
10. पूजा उम्र-15 वर्ष
11. प्रीती उम्र-13 वर्ष
12. प्रतिमा उम्र-06 वर्ष
13. पूनम उम्र-11 वर्ष
14. पूर्णिमा उम्र-04 वर्ष
15. मुन्नी उम्र-01 वर्ष

सभी नावालिक द्वारा संरक्षिका मॉ मुस. धर्मवती विधवा पत्नी शिवकुमार

16. जोखूराम तनय जगजाहिर राम (मृतक) ।

17. कालिका राम तनय इन्द्रदत्त राम (मृतक) सभी निवासी ग्राम-पडैनिया तहसील गोपद बनास जिला-सीधी (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5155-II / 16

जिला-सीधी

शीतला प्रसाद / रामविलाष

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 04/निग0/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	